


वार्षिक लेखा

2018-19



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वैबसाइट: www.ncrpb.nic.in



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
(विषय सूची)

क्र. सं.	संक्षिप्त विवरणिका	पृष्ठ सं.
1	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	i-iv
2	तुलन पत्र	1
3	आय-व्यय खाता	2
4	प्राप्ति तथा भुगतान खाता	3-4
5	अनुसूची 1 से 16	5-14
6	31.03.2019 को बनाए गए तुलन-पत्र में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची-17)	15-18
7	31.03.2019 को बनाए गए तुलन-पत्र के गये खातों पर आकस्मिक देयताएं पर टिप्पणी (अनुसूची -18)	19-23



संख्या / No.

गोपनीय भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

दिनांक / Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

विषय- वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 2018-19 के सत्यापित लेखाओं की
प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अंग्रेजित कर रही हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के
समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखों को शासी निकाय (Governing Body) को नियमानुसार प्रस्तुत
किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत
किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

अवदीया,

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्तां

(प्राची पाण्डे)

प्रधान निदेशक

दिनांक - 5/11/19

संख्या: 9DCA/CHB-1/3-3/AC/NCRPB/2019-20/588

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, प्रथम तल, कोर IV-बी, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी
रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक
प्रति संलग्न की जा रही है।
2. प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक-II), भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के पत्र
संख्या 591/CA-III/ND-I/SAR/2018-19/NCRPB/64-2019 शून्य दिनांक 30.10.19 के संदर्भ में
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्यों एवं आँकड़ों की जाँच कर ली गई है अनुमोदित लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन में एक संशोधन किया गया है जिसे कमेन्ट स. B में बोल्ड में अंकित कर दिया गया है।

(प्राची पाण्डे)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002

दूरभाष / Tele.: 011-23378473, फैक्स / Fax : 011-23378432, 011-23370871

E-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March, 2019

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31 March 2019 and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification; conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosures norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The financial Statements dealt by this report are **not** drawn up in the uniform format prescribed by the Ministry of Finance.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under Rule 33 (1 and 2) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

(A) Significant Accounting Policies (Schedule 17)

- (1) In compliance to its Accounting Policy 1(d), NCRPB is bifurcating its Receipts and Payments Account and Schedules pertaining to its Income and Expenditure Account in Capital and Revenue. This is inconsistent with the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance. This point was commented by C&AG in the report for the financial year 2017-18, but no corrective action has been taken by the management.

(2) Accounting Policy No. 3 states that “All expenses are recognized on accrual basis, except employee’s personal claims/reimbursements, which are taken on cash basis. The above accounting policy is inconsistent with the accrual concept of accounting and the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance. This point was commented by C&AG in the report for the financial year 2016-17 & 2017-18, but no corrective action has been taken by the management.

(B) Grants-in-Aid

During 2018-19, the NCRPB has received Grants-in-Aid of Rs. 50 crore (Capital) and Rs. 5.56 crore (Salary & General). NCRPB utilized the entire Grants-in-Aid of Rs. 55.56 crore received during the year (as per utilization certificate submitted by the management).

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Capital Region Planning Board as at 31 March 2019; and
- b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place: New Delhi

Dated: 5 November 2019

Prachi Pandey
5.11.19
(Prachi Pandey)

**Principal Director of Commercial Audit
& ex-officio Member, Audit Board-I,
New Delhi**

ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT

(on the annual accounts of National Capital Region Planning Board (NCRPB)for the year ended
on 31 March 2019)

1. Adequacy of Internal Audit System

There is no sanctioned post of internal auditor. It is strongly recommended that the internal audit division may be strengthened commensurate with the operations of the Board. Review of internal audit reports revealed that the scope of internal auditor includes only audit of transactions and accounting entries in respect of efficacy of operations of the Board and compliance to rules and regulations but does not provide any formal assurance regarding the adequacy and effectiveness of internal control over financial reporting. The internal audit was not based on risk analysis and assessment.

2. Adequacy of Internal Control System

Following deficiencies were observed in internal control system of NCRPB:

- a. No Audit committee is being formed to supervise its financial reporting process.
- b. There is no Whistle Blower Policy in NCRPB.
- c. There is no operational, financial and accounting manual or standard operating procedure for effective accounting and control.
- d. There is no approved fraud detection and prevention policy.
- e. NCRPB has not prepared any flow chart listing steps in various operations, procedures and activities which were specific to its working.
- f. During the year 2018-19 no meeting of NCRPB Board was held inspite of NCRPB Rules, 1985 prescribing for atleast once in every six months.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

Committee has physically verified the stock of consumable items as per balances indicating in the stock Register of Consumable and also verified the Fixed Assets as per GFR-22 for the year 2018-19 on 22.04.2019 and found in order with remarks that there is no shortage of items.

4. System of Physical Verification of Inventory

The Physical verification of inventory was carried out in the year 2018-19.

5. Regularity in payment of statutory dues

NCRPB is regular in payment of statutory dues.



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2019 के अनुसार तलन पत्र

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	(राशि ₹ में)
कोष/पूँजी निधि और देयताएं				
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूँजी निधि)	1	52018633411	48038828070	
विशेष आरक्षित	2	0	0	
निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) कोष	3	1400	1400	
सुरक्षित ऋण	4	0	0	
असुरक्षित ऋण	5	10086737691	8161751011	
स्थगित ऋण देयताएं		0	0	
चालू देयताएं एवं प्रावधान	6	547759205	494120535	
कुल		62653131707	56694701016	
परिसम्पत्तियाँ				
अचल परिसम्पत्तियाँ	7	6344309	7434905	
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	8	429925225	324162267	
एन.सी.आर.टी.सी. मेरे योगदान-निवेश	9	50000000	50000000	
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	10	62166862173	56313103844	
विविध खर्च (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक)		0	0	
योग		62653131707	56694701016	
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियाँ	17			
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियाँ	18			

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(रुपये ₹ में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद (योगदान)		तुलन पत्र में अंतरित	तुलन पत्र में अंतरित
अनुदान/इमदाद (वेतन एवं अन्य)		55600000	47000000
शुल्क और अभिदान		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों की बिक्री से आय		1800	1350
अर्जित ब्याज़	11	3911473367	3694089612
अन्य आय	12	24333841	555627448
तैयार माल के रहतिया (स्टॉक) मे वृद्धि/कमी और कार्य मे प्रगति		(1030)	(11553)
योग (क)		3991407978	4296706857
व्यय			
स्थापना व्यय	13	131129288	192086247
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	21200824	20669292
बाजार ऋण पर व्यय	15	358579347	1056270326
मूल्यहास अनुसूची 7 के अनुरूप		1193982	1488900
अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय		0	0
योग (ख)		512103441	1270514765
व्यय की तुलना मे आय से अधिक शेष (क-ख)		3479304537	3026192092
पूर्व अवधि व्यय	16	(500804)	1805470
बांड रिडम्प्शन रिजर्व (बी.आर.आर.) मे अंतरित		0	1210000000
उप योग		(500804)	1211805470
व्यय की तुलना मे आय की निवल अधिकता रा.रा.क्ष.यो.वो.निधि मे अंतरित		3479805341	1814386622
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखां पर टिप्पणियां	18		

ह/-
वित एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	कुल	पूँजी	आय	कुल	पूँजी	आय
I) आर्मेड शेष						
क) हाथ मे रोकड़	8000	8000	0	13303	13303	0
ख) बचत खाते मे शेष	276106557	276106557	0	5706126076	5706126076	0
ग) अविष्य निधि बचत खाते मे शेष	3014840	3014840	0	1535736	1535736	0
घ) (एनपीएस) बचत खाते मे शेष	0	0	0	838	838	0
ड) नकद एवं नकद तुल्य	380	380				
उप योग	279129777	279129777	0	5707675953	5707675953	0
II) प्राप्त अनुदान						
क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से	555600000	500000000	55600000	547000000	500000000	47000000
ख) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए	0	0	0	3363371	3363371	0
III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस द सेवानिवृत्ति लाभ निधि)						
क) बचत खाते पर ब्याज़	152348	0	152348	90080	0	90080
ख) अविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि पर ब्याज़	18299567	0	18299567	3109160	0	3109160
IV) प्राप्त ब्याज़						
क. राज्य सरकारों/पर्जेसियों को दिए क्रृष्ण पर ब्याज	2954948559	2954948559	0	2125286613	2125286613	0
ख. बचत बैंक	70159810	70159810	0	79228526	79228526	0
ग. बैंक जमा पर	770039670	770039670	0	1487086645	1487086645	0
घ) स्टाफ क्रृष्ण पर प्राप्त ब्याज़	217910	0	217910	232323		232323
ड) आयकर वापसी पर ब्याज़	0	0	0	0	0	0
V) OTHER INCOME						
क. रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री	1800	1800	0	1350	1350	0
ख. विविध प्राप्तियाँ	2000	2000	0	100	0	100
ग. सूचनाधिकार (आर.टी.आर्ड) शुल्क	2096	0	2096	3523	0	3523
घ. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान	0	0	0	0	0	0
ड. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	21200	5100	16100	7700	0	7700
घ) सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ	0	0	0	0	0	0
छ) पुराने समाचार पत्र की बिक्री	2360	0	2360	1240	0	1240
ज) क्रृष्ण पर पूर्व भुगतान शुल्क	0	0	0	3302159	3302159	0
VI) उधार ली गई धनराशि						
क) एशियाई ट्रिकास बैंक (ए.डी.बी.) से क्रृष्ण	0	0	0	0	0	0
ख) के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से क्रृष्ण	2791681776	2791681776	0	438000000	438000000	0
VII) अन्य प्राप्तियाँ						
क) राज्य सरकारों द्वारा क्रृष्ण की वापसी	3295708599	3295708599	0	3542055743	3542055743	0
ख) क्रृष्ण पर अधिक वापसी	122055	122055	0	122055	122055	0
ग) भुनाई गई सावधि जमा	64799999900	64799999900	0	63237000000	63237000000	0
घ) अविष्य निधि/एन.पी.एस. निवेशों की परिपक्वता	304634342	0	304634342	175877126		175877126
ड) बयाना राशि/ जमानत राशि	0	0	0	0		
घ) स्टाफ से अग्रिम की वसूली	508746	0	508746	1012579	0	1012579
छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	340455	0	340455	901968	0	901968
ज) जी.आर्ड-एस. धनराशि की वसूली/एलआईसी से प्राप्तियाँ	22350	0	22350	25526	0	25526
झ) जी.पी.एफ. अंशदान/अग्रिम/वापसी	5911522	0	5911522	5445600	0	5445600
ण) एन.पी.एस. वसूली	682476	0	682476	529455	0	529455
ट) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती	6309114	0	6309114	4182132	0	4182132
ठ) संगोष्ठी (सेमिनार) और प्रशिक्षण अग्रिम/शुल्क की वापसी	0	0	0	0		
ड) स्टाफ कार के प्रयोग से सम्बंधित वसूली	5600	0	5600	8209	8209	
ठ) अवकाश देतन एवं सेवानिवृत्ति योगदान	619783	0	619783	18032	0	18032
ण) आयकर वापसी	0	0	0	0	0	0
त) बयाना / सुरक्षा जमा	152000	152000	0	0	0	0
योग	75855275815	75461951046	393324769	77361567167	77123130623	238436543

वित एवं लेखा अधिकारी

निदेशक (प्रशा. एवं वित)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	कुल	पूँजी	आय	कुल	पूँजी	आय
I. व्यय						
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 13 के अनुरूप)	97095362	49352090	47743272	90125317	33357439	56767878
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 14 और 20 के अनुरूप)	26162644	13884522	12278122	19339071	9437281	9901790
ग) बाजार उदाहरी पर व्यय (अनुसूची 15 के अनुरूप)	299618719	299618719	0	682993499	682993499	0
II. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रदान किया गया ऋण	9934419000	9934419000	0	16954296000	16954296000	0
III. किए गए निवेश और जमा						
क) सावधि जमा (एफ.डी.आर.) में निवेशित राशि	60909999900	60909999900	0	53087000000	53087000000	0
ख) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत लाभ	406900000	0	406900000	304634342	0	304634342
IV. अचल परिसम्पत्तियों पर व्यय						
क) अचल परिसम्पत्तियों का क्रय	91850	91850	0	1506618	1506618	0
V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणों की वापसी	0	0	0	0	0	0
VI. ऋणों व अधिमों का भुगतान						
क) स्टाफ को विविध अधिम	1288649	0	1288649	1055405	0	1055405
ख) जी.पी.एफ. से अधिम/आहरण	4530200	0	4530200	3314605	0	3314605
ग) प्रशिक्षण एवं सम्मेलन अधिम	0	0	0	51578	51578	0
घ) किसी अन्य को अधिम	0	0	0	7134168	0	7134168
VII. अन्य भुगतान						
क) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के बांडों का विमोचन	0	0	0	5000000000	5000000000	0
ख) मूलधन की वापसी (ए.डी.बी./केएफडब्ल्यू ऋण)	902098171	902098171	0	848035663	848035663	0
ग) अतिरिक्त प्राप्तियों की वापसी	0	0	0	0	0	0
घ) बयाना/सुरक्षा जमा	140000	140000	0	0	0	0
इ) उद्धारकर्ता अभिकरणों (एजेंसियों)/बैंकों द्वारा सोत पर कर कटौती	180909587	0	180909587	49130413	49130413	0
च) सामूहिक बीमा योजना राशि का भुगतान	27255	0	27255	27821	0	27821
छ) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	5003465	0	5003465	28828204	25056835	3771369
ज) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	410516	0	410516	978100	0	978100
झ) नई पेशन योजना के लिए भुगतान	727597	0	727597	623595	0	623595
ञ) आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए भुगतान	0	0	0	3363371	3363371	0
VIII. अंतिम शेष						
क) हाथ में रोकड़	0	0	0	8000	8000	0
ख) बचत खाते में बैंक शेष	3085188020	3085188020	0	276106557	276106557	0
ग) पी.एफ. बचत खाते में बैंक शेष	663470	663470	0	3014840	3014840	0
घ) एन.पी.एस. बचत खाते में बैंक शेष	1410	1410	0			
योग	75855275815	75195457152	659818663	77361567167	76973358094	388209073

ह/-
वित एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित)

ह/-
सदस्य सचिव



अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<u>रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पैंजी निधि)</u>		
वर्ष के शुरू में शेष	48038828070	40724441448
जोड़: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अंशदान	500000000	500000000
जोड़: व्यय पर निवल आय से अंतरण	3479805341	1814386622
जोड़: बी.आर.आर. से अंतरित	0	5000000000
वर्ष समाप्ति पर शेष	52018633411	48038828070

अनुसूची - 2

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<u>विशेष आरक्षित</u>		
1. बांड विमोचन (रिडम्सन) रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार	0	3790000000
वर्ष के दौरान जमा	0	1210000000
घटाएं: रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड निधि फंड में कर योग्य बांड के विमोचन के पश्चात् अंतरित	0	(5000000000)
वर्ष समाप्ति पर शेष	0	0

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

निर्धारित (एंडोमेंट) निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) आरआरटीएस कॉरीडोर की डीपीआर तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष जोड़े: वर्ष के दौरान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	1400 0	1400 3363371
उप योग	1400	3364771
(ख) आरआरटीएस अध्ययन हेतु किए गये व्यय		
- परामर्शदाता को आर.आर.टी.एस. अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क	0	3363371
वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क- ख)	1400	1400

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

सुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<u>निजी स्थापित बांड</u>		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड बॉण्ड	0	0
योग	0	0

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

असुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण	3870545692	3724130892
ख) के.एफ.डब्लू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	6216191999	4437620119
योग	10086737691	8161751011

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तब्लिक पत्र के आग के रूप में अनुसंधियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान देयताएँ व प्रावधान		
साम्प्रदायिक देयताएँ		
1. सामान्य भविष्य निधि	41809788	36956268
2. जीआईएस निधि	1935	1425
3. प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों से वसूली	0	85116
4. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)	2082457	415555
5. अतिदेय	0	202500
6. एनपीएस मे बोर्ड का योगदान	678351	45121
उप योग	44572531	37705985
उधार पर उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं:		
1. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण पर ब्याज जमा	18046648	9749298
2. के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन बैंक) से ऋण पर ब्याज जमा	30551316	20557606
उप योग	48597964	30306904
अन्य वर्तमान देयताएँ		
1. देय खर्च	9622874	5761518
2. बयाना	0	496965
3. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) से ऋणों पर अधिक प्राप्तियां	542602	682960
4. अग्रिम ब्याज प्राप्ति	122055	122055
उप-योग	10287531	7063498
प्रावधान:		
1. <u>कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों के लिए</u>		
क) ग्रेचुटी	30116300	27601342
ख) पैशन (वर्तमान)	6365372	4923819
ग) पैशन (सेवा निवृत)	289446132	280535914
घ) संचित छुट्टी नकदीकरण	27885086	23436007
ङ:) चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान)	622569	581342
च) चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत)	48312960	42351607
उप-योग	402748419	379430031
2. <u>रा.रा.क्षे. सेल हेतु देय व्यय का प्रावधान</u>	41552760	36844145
उप-योग	41552760	36844145
3. <u>अन्य प्रावधान</u>		
क) एडीबी/के.एफ.डब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार	0	2769972
ख) के.एफ.डब्ल्यू ऋणों पर गारंटी शुल्क	0	0
ग) अवसरचना परियोजना हेतु अनुदान	0	0
उप-योग	0	2769972
कुल योग	547759205	494120535

ह/-
वित एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित)

ह/-
सदस्य सचिव



રાષ્ટ્રીય રાજથાની ક્ષેત્ર યોજના ગોર્ડ

(રૂપિ ₹ માં)

31.03.2019 કી સ્થિતિ કે અનુસાર અચાલ સમૃદ્ધિયો કા વિવરણ

વિવરણ	સકળ જલ્દીઓ			બંધ હાત			નિવાલ કાલેન્ડર	
	દિનાંક 01.04.2017 કો હાસિત મણ્ણ	Addition before 180 days	180 દિન કે વર્ષ કે દૌરાન બાદ સંવર્ધન	વર્ષ કે દૌરાન કુલ સંવર્ધન	વર્ષ કે શુરુ કે સમાપ્તિ પર લાગત	દર અનુસાર સંવર્ધન	વર્ષ કે સમાપ્તિ 31.03.2019 કો હાસિત મણ્ણ	
કાયાર્લય સ્થાન આઈપ્ચર્સી	3723347	0	0	0	0	3723347 10%	372335	3351012 3723347
વાન	993371	0	0	0	0	983371 15%	149006	0 844365 993371
પણીચરાફિકસચર	711170	21240	19936	41176	0	752346 10%	71118 3121	74239 678107 711170
કાયાર્લય ઉપકરણ	909173	0	0	0	0	909173 15%	136378	0 136378 772795 909173
કરન્યુટ/સેરીફરલ	1082535	49845	9990	59835	0	1142370 40%	433014	21936 454950 687420 1082535
પ્રસ્તકાલય કી પ્રસ્તકે	15309	2375	0	2375	0	17684 40%	6124	950 7074 10610 15309
યોગ	7434905	73460	29926	103386	0	7538291	1167975	26007 1193982 6344309 7434905
નિષ્ઠાને વર્ષ	7331821	114353	1481569	1595922	3938	8923805	1070687	418213 1488900 7434905 7331821

છ/-
વિત એવ લેખા અધિકારી

છ/-
નિદેશક (પ્રશા. એવ વિત)
સદસ્ય સચિવ



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2019 की स्थिति के अनुसार त्रुटन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)		
	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश - अन्य		
(क) भविष्य निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	3411385	3411385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	36400000	30100000
3. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	1275996	339833
सेंविंग बैंक में जमा राशि	663470	3014840
उप-योग	41750851	36866058
(ख) सेवानिवृति लाभ निधि		
बैंक में सावधि जमा	373000000	277034342
निवेश पर जमा ब्याज	15174374	10261867
उप योग	388174374	287296209
सकल योग	429925225	324162267

अनुसूची - 9

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार त्रुटन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)		
	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश - योगदान		
निवेश-एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में योगदान	50000000	50000000
कुल योग	50000000	50000000

ह/-
वित एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित)

ह/-
सदस्य सचिव



अनुसूची - 10

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		(राशि ₹ में)
	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान परिसंपत्तियां, क्रृष्ण, अग्रिम आदि		
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. रा.रा.क्षे. प्रस्तकों और प्रकाशन का स्टाक	250459	251489
2. लेखन सामग्री का स्टाक	132052	359030
3. विविध देनदार:		
क) अशोध्य और संदिग्ध क्रृष्ण	98361	98361
उप योग	480872	708880
4. हाथ में नकद शेष	0	0
5. बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंकों के पास:		
- बचत खाता/चालू खाता	3085188020	276106557
- पर्वदत कार्ड (कॉर्पोरेशन बैंक)	0	8000
- निवेश (एफडीआर) - अन्य	76000000000	11490000000
उप योग	10685188020	11766114557
योग (क)	10685668892	11766823437
ख. क्रृष्ण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. क्रृष्ण:		
क) स्टाफ को अग्रिम	1950	1950
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	52000	102040
ii) एलटीसी अग्रिम	130555	95855
iii) विविध अग्रिम	101495	67524
उप-योग	284050	265419
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियाँ	48976815565	42338105164
2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि		
क) पूर्वदत व्यय	17478	697805
ख) वसूली योग्य अग्रिम आयकर और स्रोत पर कर (टीडीएस)	935531566	725242870
(कर का निवल प्रावधान)		
ग) सेमिनार/बैठक अग्रिम	219600	219600
घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत)	14648	26648
ड) प्राप्त होने वाला आरटीआई शुल्क	1410	380
उप योग	935784702	726187303
3. उपार्जित आय		
क) सावधि जमा पर अर्जित किन्तु अप्राप्य ब्याज.	54293135	128187886
ख) कार्यान्वयन एजेंसियाँ व राज्यों को दिए क्रृष्ण पर अर्जित ब्याज	1504907230	1338919616
ग) स्टाफ क्रृष्ण पर अर्जित ब्याज	292161	332532
घ) बचत खाते पर अर्जित ब्याज	8814488	14280537
उप-योग	1568307014	1481720571
कुल (ख)	51481193281	44546280407
कुल (क+ख)	62166862173	56313103844

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारीह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2019 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अंकित व्याज		वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
पंजी			
1	साधारण जमा पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	698981611	995948235
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	संस्थानों के पास	0	0
घ)	अन्य	0	0
2	बचत खातों पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	64693760	87334090
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	डाकघर बचत खाते	0	0
घ)	अन्य	0	0
3	ऋणों पर:		
क)	राज्य सरकार/उनके अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा प्राप्त ऋण पर व्याज	3147519635	2610193070
ख)	कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर व्याज	197350	0
ग)	राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरूप व्याज	81011	614217
	कूल	3911473367	3694089612

अन्य आय		वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
पंजी			
क)	विविध आय	2000	0
ख)	अत्यधिक प्रावधान	0	1207410
ग)	अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनदान का प्रावधान	0	537375750
घ)	राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए ऋण का पूर्व भुगतान शुल्क	0	3302159
इ.)	भर्ती के लिए शुल्क	5100	0
	उप योग	7100	541885319
आय			
च)	पी.एफ./एन.पी.एस./सेवा निवृति लाभ के निवेश पर आय		
	पीएफ निवेशों पर व्याज	2848066	1831580
	सेवा निवृति निधि के निवेश पर व्याज	21302503	11796572
	पीएफ के बचत खातों पर व्याज़	150016	92256
	एनपीएस बचत खातों पर व्याज़	0	9
छ)	भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	16100	7700
ज)	स्टाफ कार के प्रयोग पर वसूली	5600	8909
झ)	आरटीआई शुल्क	2096	3763
त)	विविध आय	2360	1340
	उप योग	24326741	13742129
	कूल	24333841	555627448

ह/-
वित एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2019 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पंजी		
क) वेतन और मजूदरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	7562953	9212396
अन्य		
ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय का प्रावधान	41552760	36844145
उपयोग	49115713	46056541
आय		
वेतन	32689276	27175421
भत्ते एवं बोनस	11296160	11468098
एनपीएस में योगदान	638885	529455
अन्य		
लीब सैलरी एवं पेंशन योगदान	547180	878187
जीपीएफ खाते पर ब्याज़	2924598	2511685
भर्ती व्यय	265927	122833
संपदा निदेशालय को दिया गया लाइसेंस शुल्क	201605	397030
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	40609	50090
प्रावधान		
ग्रेचुइटी का प्रावधान	2514958	1713904
संचित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	4414319	816224
पेंशन (वर्तमान) का प्रावधान	7050993	5193768
पेंशन (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	8910218	52240062
चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान) का प्रावधान	4557495	581342
चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	5961352	42351607
उप-योग	82013575	146029706
कुल	131129288	192086247

ह/-
वित एवं लेखा अधिकारीह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित)ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
पंजी		
एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	0	0
अध्ययन और सर्वेक्षण	94615	2317600
विज्ञापन और प्रचार	101446	99769
बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	103544	1377882
लेखा परीक्षा शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	0	345785
संगोष्ठी और प्रशिक्षण	0	20600
प्रोफेशनल शुल्क	3715942	2791971
यात्रा प्रभार (योजना)	0	200476
हाउस कीपिंग सेवाएँ	4121434	3089390
उप-योग	8136981	10243473
आय		
विद्युत एवं जल प्रभार	197595	202653
हाउस्कीपिंग/सिक्युरिटी प्रभार	907085	879077
मरम्मत एवं रखरखाव	2153185	2840998
किराया, दर एवं कर	3306326	377645
वाहन चलाने और रखरखाव	414667	377574
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	971994	1074815
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	767489	737407
यात्रा और वाहन व्यय	537049	577235
संगोष्ठी/कार्यशाला/बैठक पर खर्च	80240	51000
कानूनी शुल्क पर खर्च	434806	599455
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	438760	354085
आतिथ्य व्यय	380633	284874
प्रोफेशनल शुल्क	2152946	1660411
अन्य	321068	408590
उप-योग	13063843	10425819
कुल	21200824	20669292

ह/-
वित एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

वाजार उधारी पर व्यय	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
पंजी		
क) बॉन्ड पर व्याज	0	148630126
ख) लिस्टिंग शुल्क	0	34500
ग) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट प्रभार	0	0
घ) ट्रस्टीशिप फीस	0	9532
ड) पीएमसी सेवाओं पर व्यय	8036425	5478711
च) रेटिंग एजेंसियों की निगरानी फीस	0	438208
छ) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	886	172500
ज) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर व्याज	212891856	142174394
झ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	4212790	11718047
ञ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर	35403075	672404472
ट) एनएसडीएल/सीएसडीएल प्रभार	0	2883
ठ) भुगतान पर बैंक प्रभार (डाक एवं अन्य)	93303	70842
ड) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण पर गारंटी शुल्क	97941012	75136111
कुल	358579347	1056270326

31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

पूर्वअवधि व्यय (निवल)	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर सेल पर व्यय	4119865	1805470
ख) एनसीआर सेल (वापस किए गए प्रावधान)	(3780846)	0
ग) बॉन्ड पर व्याज़-2002-03 (IACL)	(202500)	0
घ) बयाना रकम	(496965)	0
ड) प्रतिबद्धता शुल्क, हरियाणा	(140358)	0
कुल	(500804)	1805470

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2019 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियाँ।

1. लेखा संविदः

- क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत पद्धति और प्रोटोकॉल लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।
- ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड के खातों को लेखापरीक्षा के प्रमुख निर्देशालय, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के निर्देशानुसार केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए जारी खातों के प्रारूप में बनाया गया है।
- ग) वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी मूल्य तक पूर्णांकित किया गया है।
- घ) चूंकि वर्ष 2017-18 से योजना-गैर योजना का विलय किया गया है, इसलिए योजना और गैर-योजना के खाता शीर्ष को क्रमशः पूँजी और राजस्व के रूप में दिखाया जा रहा है।
- ड) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है, जहां "अंशदान" अनुदान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना निधि में हस्तांतरित किया जाता है और अनुदान-सहायता (सामान्य और वेतन) का उपयोग इसके निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।

2. आय निर्धारण

- क) सभी आय को प्रोटोकॉल आधार पर खातों में समाविशित किया गया है।
- ख) पिछले वर्षों से संबंधित आय को अलग से पूर्व-अवधि मर्दों में लिया गया है।

3. व्यय की मान्यता

- क) कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों/प्रतिपूर्तियों, जो नकद में लिए जाते हैं, के अलावा सभी व्ययों को प्रोटोकॉल आधार पर लिया गया है;
- ख) सभी पूर्व-अवधि व्यय जिनको चालू वर्ष में किया गया है उन्हें अलग कर पूर्वावधि व्यय (मद) के अंतर्गत दिखाया गया है।

4. अचल परिसम्पत्ति:

- क) अचल परिसम्पत्तियाँ मूल्यहास घटाने के पश्चात हासित मूल्य पर बताई गई हैं;
- ख) वर्ष के दौरान किसी भी परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

5. अचल परिसंम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार हासित मूल्य पद्धति से प्रभारित किया गया है। मूल्यहास आय-व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है। मूल्यहास की दर अनुसूची 7 में दर्शायी गई है।

6. **सेवा निवृति लाभ:**

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एनसीआरपीबी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृति लाभ अर्थात् अर्जित अवकाश नकटीकरण, ग्रेच्युटी और पैशन तथा चिकित्सा सुविधाओं/लाभ के लिए आवश्यक प्रावधान 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में किए गए हैं। वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के अंतरिक उपार्जन से तैयार किए जाते हैं। लेखा सिद्धांत-15 के अनुसार, सेवानिवृति लाभों के अंतर्गत पैशन के प्रावधान को पैशन (वर्तमान) 12 माह में देय और पैशन (गैर-वर्तमान) में 12 माह के उपरांत देय के लिए विभाजित किया गया है।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पैशन और पैशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियां राजस्व से प्रभारित की गई हैं और बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अंतरित की गई हैं।

ग) **नई पैशन योजना निधि:**

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पैशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार नई पैशन योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। व्यय विभाग, वित मंत्रालय, ने दिनांक 17.08.2009 के का.जा. द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एनपीएस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में नेशनल स्कियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में नेशनल स्कियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियां नेशनल स्कियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड को अंतिरित की गई हैं।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को नेशनल स्कियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई को भेज रहा है। बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब नेशनल स्कियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई द्वारा किया जा रहा है।

घ) सामूहिक बीमा देनदारियां

वर्ष 2005-06 के दौरान बोर्ड ने एलआईसी के साथ सामूहिक बीमा योजना नामक एक पॉलिसी ली ताकि किसी भी तरह की देयता को उत्पन्न होते ही पूरा किया जा सके। बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौती करके हर महीने एलआईसी को भेजता है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और इस्तीफे पर, उनके दावों को एलआईसी को अग्रेषित किया जाता है, जिससे पॉलिसी के तहत ब्याज सहित बचत लाभ एवं बीमा कवर, जहां कहीं भी लागू हो, का भुगतान किया जा सके।

7. इंवेंटरी (रहनिया):

(क) एनसीआर पुस्तकें एवं प्रकाशन:- बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में निःशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों एवं प्रकाशनों की लागत आय-व्यय लेखा में प्रभारित की जाती है तथा पुस्तकों के क्रय से प्राप्त राशि को एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों से प्राप्त आय के रूप में दर्शाया जाता है। वित वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक का लागत-मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

ख) वित वर्ष की समाप्ति पर शेष स्टेशनरी का लागत मूल्य पर मूल्यांकन तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है।

8. अध्ययन एवं सर्वेक्षण:

अध्ययन और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययों को छोड़कर) आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किए जाते हैं।

9. निर्धारित / एंडोमेंट निधि:

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भूतपूर्व शहरी विकास मंत्रालय) ने अपने पत्र दिनांकित 09.03.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है कि आरआरटीएस के तीन कोरीडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित पोषण मंत्रालय की अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग योजना की निधि से किया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास मंत्रालय) से आरआरटीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।

10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, सभी एनसीआर सेल द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद सभी चार एनसीआर सेल को निर्धारित सीलिंग के अनुसार कार्यालय के आवर्ती खर्चों तथा वेतन और भत्ते के भुगतान की सभी लागतों की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य सरकार को एनसीआरपीबी द्वारा की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्तीय वर्ष के लेखों में उचित प्रावधान किया

जाता है, तथा अगर ये दावे वित्त वर्ष के समाप्ति के बाद प्राप्त होते हैं तो इसके लिए एन.सी.आर. प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

11. आयकर:

उपयुक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात् वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली के आदेश सं डीजीआईटीई(ई)10(23सी)(iv)/2008 दिनांक 02.5.2008 के द्वारा वर्ष 2003-04 के बाद से एनसीआरपीबी, आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23सी)(iv) के उप खण्ड(iv) के अंतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इसे देखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

12. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुदान:

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा दिनांक 22.03.2012 को संपन्न अपनी 32वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था कि रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवरेज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत की 15% तक राशि बोर्ड अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर की सभी परियोजनाएं जो पीएसएमजी (PSMG) द्वारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (04.08.2011 को संपन्न) के बाद स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 01.04.2012 तक क्रृष्ण राशि प्रदान नहीं गई है, अनुदान राशि पाने के योग्य हैं। ये अनुदान प्रतिपूर्ति रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा क्रृष्ण की अनुबंधित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, आय और व्यय खाते में वर्ष 2011-12 से 2016-17 के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए थे तथा 31.3.2018 तक कोई भी कार्यान्वयन एजेंसी अनुदान का दावा नहीं कर सकी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब तक कोई भी परियोजना अनुदान घटक के योग्य नहीं हो सकी इस कारण अभ्यास बदल दिया गया है और व्यय को अनुसूची 18 में आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

13. बाह्य मुद्रा में लेन देन:

बाह्य मुद्रा में हुए लेनदेन का लेखा लेनदेन की दिनांक की विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। बाह्य मुद्रा में लिए गए क्रृष्ण जैसे एडीबी से अमेरिकी डॉलर में तथा केएफडब्ल्यू से यूरो में लिए गए क्रृष्ण को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया हैं तथा परिणामस्वरूप लाभ/हानि में आय/व्यय को प्रभारित किया गया है।

ह/- सहायक निदेशक (वित्त)	ह/- निदेशक (प्रशा.एवं वित्त)	ह/- सदस्य सचिव
-----------------------------	---------------------------------	-------------------

दिनांक : 28 जून, 2018

स्थान : नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आकस्मिक देनदारियाँ :-

1. आकस्मिक देनदारियाँ

अनुसूची-17 के पैरा 12 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹168,89,91,750/- की आकस्मिक देनदारियों का आकलन किया गया, जो कि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर ही देय है। चूंकि, इस तरह की कोई भी परियोजना अनुदान के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 में परियोजनाओं के लिए कोई अनुदान राशि जारी नहीं की गई थी, अतः ₹168,89,91,750/- को आकस्मिक देयता में से हटा दिया गया था।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदानों के प्रति एक नए आकस्मिक दायित्व का मूल्यांकन किया गया था जो ₹8,76,00,000/- है।

2. पूर्व अवधि व्ययः

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की टिप्पणियों के अनुसार, अलग ऑडिट रिपोर्ट नंबर-DD-II/वार्षिक A/c.NCRPB10-3/2012-13/489 दिनांक 10.10.2013 के अनुपालन में, पूर्व-अवधि मर्दै आय और व्यय खातों में लाइन के नीचे अलग से दिखाई गई है। वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

- क) वर्ष 2002-03 के बॉन्ड पर ब्याज के कारण 31.0.2006 से भारतीय एन्युमीनियम कंपनी लिमिटेड को ₹2,02,500/- देय था, जिसे 10 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद भी IACL द्वारा दावा नहीं किया गया। इसलिए, इसे वापस लिखा गया और आय में लिया गया। यह पूर्व-अवधि आइटम अनुसूची-16 में दिखाया गया है।
- ख) बयाना राशि ₹4,96,965/- जो 2005-07 से संबंधित है, जिसके लिए किसी भी पक्ष द्वारा गत 10 वर्षों से अधिक के बाद भी कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए इसे वापस लिखा गया और आय में लिया गया और पूर्व-अवधि मर्दै की अनुसूची-16 में दिखाया गया।
- ग) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एनसीआर सेल के खर्चों के लिए अतिरिक्त प्रावधान को वित्त वर्ष 2017-18 में किए गए प्रावधान से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, जिसे वित्त वर्ष 2018-19 की अनुसूची-16 में पूर्व-अवधि के मद में लिया गया है।
- घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 में हरियाणा सरकार से वसूल किए गए प्रतिबद्धता शुल्क को आय और व्यय खाते में नहीं लिया गया जिसे वित्त वर्ष 2018-19 की अनुसूची-16 में पूर्व-अवधि मर्दै में लिया गया में लिया गया है।

3. एनसीआर नियोजन एवं निगरानी सेल:

- क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआरपीबी द्वारा संबंधित एनसीआर सेल/राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद संबंधित राज्य सरकारों को एनसीआर सेल पर खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। चूंकि, वित्तीय वर्ष के समापन और वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड को दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त पिछले दावों/भुगतान के आधार पर वार्षिक खाते में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, 31.3.2019 तक देय वार्षिक राशि के साथ संलग्न तुलनपत्र की अनुसूची-16 में 31.3.2019 तक देय एनसीआर सेल के खर्च के लिए ₹4,15,52,760/- का प्रावधान किया गया है।
- ख) वर्ष 2018-19 के दौरान, लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:
- (i) **हरियाणा सेल:** वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा सेल को देय खर्चों का प्रावधान ₹1,39,78,377/- था, लेकिन इसके विरुद्ध, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1,33,84,082/- का वास्तविक भुगतान किया गया था। तदनुसार, ₹5,94,295/- पूर्व अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।
 - (ii) **उत्तर प्रदेश सेल:** वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश सेल को देय व्यय का प्रावधान ₹1,31,68,404/- था, लेकिन इसके विरुद्ध, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹99,81,853/- का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹31,86,551/- पूर्व अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।
 - (iii) **राजस्थान सेल:** राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2017-18 में ₹96,97,364/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित वर्ष 2018-19 में ₹1,17,43,075/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹20,45,711/- पूर्व-अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।
 - (iv) **दिल्ली सेल:** वर्ष 2013-14 के बाद से दिल्ली सेल के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, वित वर्ष 2017-18 के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन वित वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली सेल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹20,74,154/- का दावा किया है। तदनुसार, ₹20,74,154/- पूर्व-अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।
- (ग) एनसीआर सेल व्यय के लिए वित वर्ष 2018-19 में ₹4,15,52,760/- का निम्न रूप से प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है :

राजस्थान	-	₹ 96,97,364.00
उ.प्र.	-	₹1,58,02,865.00
हरियाणा	-	₹1,39,78,377.00
दिल्ली	-	<u>₹20,74,154.00</u>
कुल	-	₹4,15,52,760.00

दिनांक 31.3.2019 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की अनुसूची-6 के अनुसार एनसीआर सेलों को देय व्यय का कुल प्रावधान रु4,15,52,760/- किया गया है।

4. आयकर:

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv)के अंतर्गत करनिर्धारण वर्ष 2003-04 से दिनांक 2.5.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान में रखते हुये वर्ष 2017-18 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

तथापि, वर्ष 2018-19 के लिये उधारकर्ता-अभिकार्यों (एजेंसियो)/बैंकों ने वर्ष के दौरान बोर्ड को दिए गए ब्याज भुगतान पर रु21,00,17,601/- का टी.डी.एस. काटा है। इस राशि में दिनांक 31.03.2019 तक, बैंकों द्वारा निवेशों पर काटा गया टीडीएस रु5,27,11,403/- तथा रु15,73,06,198/- रा.रा.क्षे.यो.बो. से ली गई वित्तीय सहायता पर ब्याज भुगतान पर भागीदार राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कटौती की गई। तदनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची-10 में शीर्ष “अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि” के तहत रु21,00,17,601/- स्रोत पर कर कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

जैसा कि वित वर्ष 2017-18 की अनुसूची-10 में दिखाया गया है, रु72,52,42,870/- में से मूल्यांकन वर्ष 2008-09 से 2018-19 से संबंधित लंबित रिफंड, रु16,66,46,060/- के लिए वापसी आदेश परित कर दिया गया है (आकलन वर्ष 2018-19 के फॉर्म 26AS के अनुसार)। हालाँकि, उसी को आयकर विभाग के एमआईएस में वर्ष 2015-16 के लिए परिलक्षित मांग के लिए समायोजित किया गया है, जबकि, धारा 143(2) के तहत आयकर आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष जांच प्रक्रियाधीन है। वर्ष के दौरान आकलन वर्ष 2016-17 के आयकर आकलन को धारा 143(3) के तहत आयकर उपायुक्त द्वारा पूरा कर लिया गया है तथा दिनांक 01.12.2018 के आदेश के अनुसार धारा 156 के तहत शून्य करदेयता के रूप में स्वीकार किया गया है, और इसके लिए रु14,48,87,176/- रिफंड आदेश जारी किया है।

5. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार:

(क) एशियाई विकास बैंक: दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, एडीबी से उठाए गए बकाया ऋण/उधार (पुनर्भुगतान के बाद) 31.3.2019 को प्रचलित दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में \$55.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर (रु363.33 करोड़) था। 2018-19 के दौरान एक्सचेंज रेट वैरिएशन पर रु23.73 करोड़ की हानि, बकाया ऋण पर “बाजार उधार पर व्यय” के तहत दिखाया गया है और आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, एडीबी ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन रु387.06 करोड़ है, जिसमें अनुसूची 5 में दर्शायी गई रु62.1732 करोड़ की संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (डॉलर बनाम रूपया) शामिल है।

(ख) के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी): दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, के.एफ.डब्ल्यू. से उठाए गए बकाया ऋण/उधार 31.3.2019 को प्रचलित दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में \$80.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹641.80 करोड़) था। 2018-19 के दौरान ₹20.19 करोड़ की विनियम दर भिन्नता पर लाभ, बकाया ऋण पर, "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है और आय और व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, के.एफ.डब्ल्यू. ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन, ₹621.61 करोड़ दिखाया गया, जिसमें अनुसूची 5 में ₹34.3150 करोड़ की संचित विनियम दर भिन्नता हानि (यूरो बनाम रूपया) शामिल है।

6. स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय – पूँजी/योजना एवं आय/गैर योजना

अनुसूची 13 में स्थापना व्यय (पूँजी) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए ₹75,62,953/- बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन के सम्बंध में है। ये 5 पद वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई पद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.1.2011 के द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित किए गए हैं जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक उपार्जन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (पूँजी/योजना) में दर्शाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा आय/गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय के लिए दिए गए बजट समर्थन के अलावा बोर्ड अपने आंतरिक प्रोटोकॉल से सभी खर्च पूर्ण करता है।

7. निवेश: ईकिवटी एनसीआर परिवहन निगम लि. में योगदान

एनसीआर परिवहन निगम के गठन के लिए कैबिनेट नोट को दिनांक 11.7.2013 को मंजूरी दी गई। दिनांक 1.8.2013 को संस्थापन प्रलेख और संस्था के अंतर्नियम हस्ताक्षरित किए गए और एनसीआरटीसी लिमिटेड को 21.8.2013 को निगमित किया गया। इसके अलावा, बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्राओं, आरआरटीएस परियोजनाओं के संरेखण सहित एनसीआरटीसी द्वारा देखे जायेंगे। एनसीआरटीसी, ₹100 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ, आरआरटीएस कोरिडोर के डिजाइन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का स्वामित्व रखता है तथा इस प्रारंभिक कोष में निम्नलिखित अंशदान दिए जाने हैं :-

क्रम सं	इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति	एनसीआरटीसी में हिस्सा(%)	रकम (करोड़ ₹ में)
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
3.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	12.5%	12.50

4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.5%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.5%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.5%	12.50
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5%	5.00
	कुल	100%	100.00

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड ने एन.सी.आर.ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹5.00 करोड़ (5%) की इक्विटी शेयर में निवेश किया है जिसके अनुरूप एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ₹100 प्रत्येक मूल्य के 5,00,000 शेयर प्रमाण पत्र जारी किए हैं जो कि विशिष्ट प्रमाण पत्र संख्या 3 और 10 विशिष्ट संख्या के अनुसार 2501 से 2750 अर्थात् 250 इकाइयाँ और विशिष्ट संख्या 1754001 से 2253750 अर्थात् 4,99,750 इकाइयाँ, जो की सदस्य सचिव रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड या निदेशक एन.सी.आर.टी.सी. के पक्ष में जारी हैं।

8. 31.3.2019 के अनुसार राज्य सरकार को जारी ऋण/अग्रिमों की बकाया राशि रु4,897,68,15,565/- है जो अनुसंधी-10 में दर्शाई गई है:

राज्य	रकम (₹करोड़ में)
राजस्थान उपक्षेत्र & सीएमए	1811.21
उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र	1891.93
हरियाणा उपक्षेत्र	1181.21
दिल्ली	13.33
कुल	4897.68

9. खराब और संदिग्ध कृणः

क) रु98,361/- को "खराब और संदिग्ध ऋण" के तहत दिखाया गया है, जो कि 10 वर्षों से अधिक से अप्राप्य है।

10. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुर्णव्यवस्थित किए गए हैं।

ह/- ह/- ह/-
वित एवं लेखा अधिकारी निदेशक (प्रशा. एवं वित) सदस्य सचिव

दिनांक : जून, 2019
स्थान : नई दिल्ली